झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022 – 444

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :– 11.05.2022

विषय :– **राशन डीलरों को माह अप्रैल का राशन मई माह में मिलने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार–पत्र "प्रभात खबर" में दिनांक–10.05.2022 को राशन डीलरों को माह अप्रैल का राशन मई माह में मिलने एवं इस कारण राशन वितरण में समस्या उत्पन्न होने से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित हुई है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार के कतरन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि लाभुकों को निर्बाध रूप से ससमय राशन उपलब्ध हो सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx120

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(11)

दिनांक - 10-05-2022
प्रभात खबर

put-up
11/5

11/05/2022

डीलरों को अप्रैल का राशन मई में मिला, वितरण में आयी समस्या

प्रमुख संवाददाता, रांची

- विभाग को फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने लिखा पत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के कई डीलरों को अप्रैल माह का राशन मई माह में भेजा गया है. डीलर लाभुकों को बीच अनाज का कैसे वितरण करेंगे, इसकी समस्या उत्पन्न हो गयी है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने जनवरी माह में आदेश जारी कर कहा है कि राशन का वितरण संबंधित माह में किया जाना है, नहीं तो राशन लैप्स हो जायेगा. ई-पॉश मशीन में पिछले माह के राशन वितरण का कोई विकल्प नहीं है. फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा ने विभागीय सचिव को पत्र लिख मंतव्य मांगा है. पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के गोदामों से डीएसडी की ओर से राशन दुकानों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है. ज्यादातर जिलों में प्रत्येक माह में पिछले माह का अनाज भेजा जा रहा है. खाद्यान्नों का समय पर आपूर्ति नहीं होने के कारण लाभार्थियों और विक्रेताओं को परेशानी हो रही है.